

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारी:—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 15/2019

दायर दिनांक: 09/01/2019

उनवान

1. हरिचरण आयु 50 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादी

बनाम

1. चतुर्भुज आयु 82 वर्ष पुत्र बलभद्र जाति धाकड़ निवासी मोठपुर
2. परमानन्द आयु 53 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी मोठपुर
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज०।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीगण:— विद्वान अभिभाषक श्री यशधुम्मन सिंह

आदेश

दिनांक : 23/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया था जो आपसी सहमति अनुसार दिनांक 29.07.2019 को स्वीकार कर निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार अटरू को विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु भिजवाई गई थी तहसीलदार अटरू द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया जिससे उभय पक्षकारान सहमत है। अतः विवादित आराजी मोठपुर की खाता संख्या 165 किता 4 का रकबा 2.33 है० तथा ग्राम दीलोद हाथी की खाता संख्या 127 किता 2 रकबा 2.10 है० शामलाती खाते की भूमि का विभाजन आपसी सहमति अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:—

1. प्रतिवादी क्रम 1 चतुर्भुज पुत्र बदभद्र के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

नाम	ग्राम	खाता संख्या	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
दिलोदहाथी		127	560 पश्चिम	0.16	बरानी 3	0.64

2. वादी हरिचरण पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़ के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी।

नाम	ग्राम	खाता सं०	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
दिलोदहाथी		127	560 मध्य	0.75	बरानी 3	3.00
			563/2184 मध्य	0.14	बरानी 3	0.56
			किता 2	0.89		3.56

3. धन्नालाल पुत्र बलभद्र धाकड़ के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी।

नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
दिलोदहाथी	127	560 पूर्व	1.05	बरानी 3	4.20

तथा ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 165 किता 4 रकबा 2.33 है0, का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

1. वादी हरिचरण पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़ सा0देह रहन एस0बी0बी0जे0 अटरू के हिस्सों में रहेगी।

नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
मोठपुर	165	556 दक्षिण	0.09	जावा 2	1.44
		588	1.73	जावा 3 / 1.39	15.29
				चाही 3 / 0.34	7.48
		588 / 2691	0.01	गै0मु0 चाह	0
		825	0.34	चाही 1	12.58
			किता 4	2.17	39.35

2. प्रतिवादी क्रम 1 चतुर्भुज पुत्र बलभद्र जाति धाकड़ सा0 देह रहन एस0बी0बी0जे0 अटरू के हिस्से में रहेगी।

नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
मोठपुर	165	556 उत्तर	0.16	जावा 2	2.56

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में खाता पृथक पृथक कर अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

प्रकरण सं0 15/2019

उनवान

1. हरिचरण आयु 50 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. चतुर्भुज आयु 82 वर्ष पुत्र बलभद्र जाति धाकड़ निवासी मोठपुर
2. परमानन्द आयु 53 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी मोठपुर
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री यशधुम्मन सिंह

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी मोठपुर की खाता संख्या 165 किता 4 का रकबा 2.33 है0 तथा ग्राम दीलोद हाथी की खाता संख्या 127 किता 2 रकबा 2.10 है0 शामलाती खाते की भूमि का विभाजन आपसी सहमति अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. प्रतिवादी क्रम 1 चतुर्भुज पुत्र बदभद्र के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
दिलोदहाथी	127	560 पश्चिम	0.16	बरानी 3	0.64

2. वादी हरिचरण पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़ के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी।

नाम ग्राम	खाता सं0	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
दिलोदहाथी	127	560 मध्य	0.75	बरानी 3	3.00
		563/2184 मध्य	0.14	बरानी 3	0.56
		किता 2	0.89		3.56

3. धन्नलाल पुत्र बलभद्र धाकड़ के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी।

नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
दिलोदहाथी	127	560 पूर्व	1.05	बरानी 3	4.20

तथा ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 165 किता 4 रकबा 2.33 है0, का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

3. वादी हरिचरण पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़ सा0देह रहन एस0बी0बी0जे0 अटरू के हिस्सों में रहेगी।

नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
मोठपुर	165	556 दक्षिण	0.09	जावा 2	1.44
		588	1.73	जावा 3/1.39	15.29
				चाही 3/0.34	7.48

588 / 2691	0.01	गै0मु0 चाह	0
825	0.34	चाही 1	12.58
किता 4 2.17			39.35

4. प्रतिवादी कम 1 चतुर्भुज पुत्र बलभद्र जाति धाकड़ सा0 देह रहन एस0बी0बी0जे0 अटरू के हिस्से में रहेगी।

नाम ग्राम	खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
मोटपुर	165	556 उत्तर	0.16	जावा 2	2.56

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में खाता पृथक पृथक कर अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

